

[2025] 2 एस.सी.आर. 636:2025 आई. एन. एस. सी 242

सुभेलाल @ सुशील साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(दाण्डिक अपील सं. 818/2025)

18 फरवरी, 2025

[जे. बी. परदीवाला और आर. महादेवन, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवादयक

उच्च न्यायालय ने दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420, 201, 120-ख सहपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। तथ्यों पर, अपीलार्थी, क्या जमानत का हकदार है? दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 (6) के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए सुसंगत कारक।

शीर्ष टिप्पण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 (6) - आवेदन का निपटारा उदारता से किया जाना है - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 की धारा 420, 201, 120- ख सहपठित धारा 34 - क्रिप्टो करेन्सी से संबंधित आर्थिक अपराध - अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किए जाने वाले 189 साक्षियों में से केवल 1 साक्षी का परीक्षण किया गया है- अपराध स्थापित होने पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है - अपीलार्थी दिसंबर, 2023 से अभिरक्षा में है- क्या वह जमानत का हकदार है :

अभिनिर्धारित : हां, जैसा कि कहा गया है नियम और शर्तों के अधीन - धारा 437(6) के अंतर्गत आवेदनों पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जहां साक्ष्य के साथ छेड़छाड़; अभियुक्त के फरार होने या विचारण में विलंब कारित करने; अभियोजन के लिए कोई पूर्वाग्रह की कोई संभावना न हो; या निकट भविष्य में विचारण के समापन की बहुत कम गुंजाइश हो; जहां अभियुक्त अपराध के लिए निर्धारित दण्ड की तुलना में पर्याप्त अवधि के लिए कारावास में रहा है- इस प्रकार, धारा 437(6) के तहत आवेदन का निपटारा भारत के संविधान के तहत परिकल्पित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उदारता से किया जाना चाहिए जिसे विधायिका द्वारा धारा 437 में उप-धारा (6) को प्रविष्ट कर संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। [कण्डिका 17, 18, 20]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 (6) के तहत आवेदन पर विचार करने हेतु सुसंगत दृष्टांत स्वरूप कारक प्रगणित। [कण्डिका 13-16]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 (6) - धारा 437 (6) की प्रकृति और उद्देश्य आज्ञापक नहीं हैं - अभियुक्त के पक्ष में जमानत का अधिकार प्रदान नहीं करती है :

अभिनिर्धारित : धारा 437(6) की प्रकृति आज्ञापक नहीं है और अभियुक्त के पक्ष में जमानत का आत्यंतिक और अटल अधिकार प्रदान नहीं करती है - संहिता की धारा 437 की उप-धारा(6) का पिछला भाग किसी दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को कारण निर्धारित कर जमानत से इनकार करने का अधिकार देता है- धारा 437 की उप-धारा (6) व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की दृष्टि से त्वरित सुनवाई के लिए अभियुक्त के अधिकार को मान्यता देते हुए किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखे बिना विचारण में तेजी लाने के आशय से विधायिका द्वारा जोड़ा गया है - साथ ही, दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को दी गई परिस्थितियों में कारण बताते हुए जमानत से इनकार करने की अनुमति देकर एक संतुलन भी बनाया गया है- इस प्रकार, जहां दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के मत में, ऐसे अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना उचित या वांछनीय या न्याय के हित में नहीं है, वह कारण बताकर जमानत से इनकार कर सकता है। [कण्डिका 10]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437(1), (2) & (6) - जमानत से इनकार करने के लिए धारा 437(1) & (2) की तुलना में धारा 437(6) के आधार भिन्न होने चाहिए:

अभिनिर्धारित : धारा 437(6) के तहत जमानत से इनकार करने के लिए सुसंगत आधार वही नहीं होंगे जो दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के न्यायालय द्वारा धारा 437(1) व (2) के तहत जमानत को अस्वीकार करते समय महत्वपूर्ण होते क्योंकि वह विचारण से बहुत पहले का स्तर है जबकि धारा 437(6) से संबंधित स्तर आरोप -पत्र प्रस्तुत किए जाने और आरोप विरचित किए जाने के बाद जब विचारण शुरू होता है और अभियुक्त साक्ष्य लेने के लिए निर्धारित पहली तिथि से 60 दिनों के अंतराल के बाद आवेदन प्रस्तुत करता है तब का स्तर है - यदि विधायिका द्वारा आधार समान होने की अपेक्षा की गई थी या ऐसी उसकी मंशा थी तो उप-धारा (6) प्रविष्ट करने का कोई कारण नहीं था- अतः धारा 437(6) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के कारण प्रारंभिक स्तर में जमानत की अस्वीकृति के लिए सुसंगत कारणों की तुलना में अलग और थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा उप-धारा (6) को अनुचित माना जाएगा। [कण्डिका 11]

उद्धृत किया गया निर्णय विधि

नेहुल प्रकाशभाई शाह बनाम गुजरात राज्य (2012) 53 (3) GLR 2685 - अनुमोदित।

अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय दण्ड विधान, 1860; भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

आर्थिक अपराध; क्रिप्टो करेन्सी से संबंधित अपराध; घोटाला; निवेशकों को धन की हानि हुई; नियमित जमानत अस्वीकृत; विचारण प्रारंभ होने के बाद जमानत; विचारण से पूर्व का स्तर; विचाराधीन कैदी; अभियुक्त का त्वरित विचारण का अधिकार।

प्रकरण उद्धृत

दाण्डिक अपील अधिकारिता : दाण्डिक अपील सं. 818/2025
विविध दाण्डिक प्रकरण सं. 2810/2024 में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के निर्णय व आदेश दिनांक 22.07.2024 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण :
मंगलजीत मुखर्जी, श्रीमती देवर्षिता बसु मुखर्जी, चाँद कुरैशी, धीरेन्द्र कुमार वर्मा, दीपक राज सिंह, मोहित यादव, श्रीमती आरती पाल।
प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण :
श्रीमती प्रेरणा धल, सुश्री करिश्मा राजपूत, गोपीनाथ एम. एन., शिवम् गणेशिया, प्रशान्त सिंह, सुश्री आकांक्षा सिंह।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

आदेश

1. अनुमति दी गई।
2. यह अपील रिट याचिका विविध दाण्डिक प्रकरण सं. 2810/2024 में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित 22.07.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश से उद्धृत होती है जिसके द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 201, 120, 120-क सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़ में पंजीबद्ध अपराध सं. 460/2023 में अपीलार्थी का नियमित जमानत अस्वीकृत कर दिया है

3. अपराध क्रिप्टो करेन्सी से संबंधित है। अन्वेषण अधिकारी, जो न्यायालय में उपस्थित है, के अनुसार लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है।
4. निस्संदेह, यह एक आर्थिक अपराध है। हम कथित अपराध की गंभीरता को कम नहीं आंकते हैं। दुर्भाग्य से, लगभग 2000 निवेशकों को अपीलार्थी- यहाँ अभियुक्त तथा अन्य सह-अभियुक्तों के साथ द्वारा शुरू की गई योजना में अपने धन की हानि हुई है। अपीलार्थी सहित 5 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायपुर के न्यायालय में विचारण हो रहा है। अब तक एक साक्षी का परीक्षण हुआ है। हमें सूचित किया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता कटघरे में प्रवेश कर चुका है और उसका मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा है। समस्या यह है कि अभियोजन पक्ष 189 साक्षियों का परीक्षण करना चाहता है। एक बार फिर, एक बड़ा प्रश्न यह है कि ये 189 साक्षी कौन हैं और लोक अभियोजक इतने सारे साक्षियों का परीक्षण क्यों करना चाहते हैं।
5. चाहे जो भी हो, अपीलार्थी दिसंबर, 2023 से अभिरक्षा में है। अगर मौखिक साक्ष्य के समापन से पहले यदि केवल 50 साक्षियों का परीक्षण किया जाता है, तो भी इसमें लंबा समय लगेगा।
6. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि चूंकि विचारण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए अपराध स्थापित होने पर वह अधिकतम 7 वर्ष का दण्ड दे सकते हैं।
7. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता") की धारा 437(6) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:-

"437. अजमानती अपराध की दशा में कब तक जमानत ली जा सकेगी-

(6) यदि, दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण, जो किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के अन्दर पूरा नहीं हो जाता है तो यदि ऐसा व्यक्ति उक्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो, जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश न दे वह

मजिस्ट्रेट की समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।"

8. हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम ऊपर निर्दिष्ट धारा 437 की उप-धारा (6) के दायरे, उद्देश्य और प्रयोज्यता पर विचार करें यद्यपि, जैसा कि अवलंब लिया गया है, हम इस अवसर पर परंतुक की व्याख्या करते हैं।

9. संहिता की धारा 437 की उप-धारा (2) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग इंगित करेगा कि यह आज्ञापक है, परन्तु अगली सांस में, विधायिका ने दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को कारण बताकर जमानत नहीं प्रदान करने का विवेकाधिकार दिया है। उस स्थिति में, हालांकि पहले भाग को क्षणिक रूप से अनिवार्य कहा जा सकता है, इसकी व्याख्या अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अटल अधिकार देने वाले के रूप में नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह अधिकार उप-धारा के बाद के भाग द्वारा नियंत्रित/विनियमित किया जाता है। यदि विधायिका पहले भाग के अंत में बंद हो गया होता, जिससे दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के लिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना अनिवार्य हो जाता, यदि विचारण साक्ष्य लेने की पहली तिथि से 60 दिनों के भीतर समाप्त नहीं होता, तो उपबंध कुछ हद तक संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के समान होते। परन्तु, दूसरे भाग के अपने स्थान पर होने के कारण दोनों प्रावधानों की बराबरी नहीं की जा सकती है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धारा 437 की उप-धारा (6) के उपबंध को किसी व्यक्ति को लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में अनावश्यक रूप से हिरासत में रखे बिना विचारण में तेजी लाने के आशय से जोड़ा गया था। इसके विपरीत, धारा 167 (2) न्यायालय के पास किसी भी विवेकाधिकार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है जहां तक दी गई परिस्थितियों में जमानत पर अभियुक्त की रिहाई का संबंध है। संहिता के इस उपबंध के तहत अभियुक्त को जमानत देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।

10. संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) के बाद वाला भाग दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को कारण बताकर जमानत से इनकार करने का अधिकार देता है। हमारे विचार में, विधायिका ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की दृष्टि से त्वरित विचारण के लिए अभियुक्त के अधिकार को मान्यता देने की दृष्टि से इस उपबंध को सम्मिलित किया है। साथ ही, विधायिका ने दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को परिस्थितियों के एक समूह में कारण बताते हुए जमानत से इनकार करने की अनुमति देकर संतुलन बनाने की प्रयास है। अर्थात्, जहां दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के

मत में, ऐसे अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना उचित या वांछनीय या न्याय के हित में नहीं है, वह कारण बताकर जमानत से इनकार कर सकता है। धारा 437 (6) के उपबंधों को प्रकृति में आज्ञापक नहीं माना जा सकता है और अभियुक्त के पक्ष में जमानत का पूर्ण और अटल अधिकार प्रदान करने के लिए व्याख्या नहीं की जा सकती है।

11. धारा 437(6) के तहत जमानत से इनकार करने के लिए सुसंगत आधार वही नहीं होंगे जो दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के न्यायालय द्वारा धारा 437(1) व (2) के तहत जमानत को अस्वीकार करते समय महत्वपूर्ण होते क्योंकि वह विचारण से बहुत पहले का स्तर है जबकि धारा 437(6) से संबंधित स्तर आरोप -पत्र प्रस्तुत किए जाने और आरोप विरचित किए जाने के बाद जब विचारण शुरू होता है और अभियुक्त साक्ष्य लेने के लिए निर्धारित पहली तिथि से 60 दिनों के अंतराल के बाद आवेदन प्रस्तुत करता है तब का स्तर है - यदि विधायिका द्वारा आधार समान होने की अपेक्षा की गई थी या ऐसी उसकी मंशा थी तो उप-धारा (6) प्रविष्ट करने का कोई कारण नहीं था- अतः धारा 437(6) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के कारण प्रारंभिक स्तर में जमानत की अस्वीकृति के लिए सुसंगत कारणों की तुलना में अलग और थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा उप-धारा (6) को अनुचित माना जाएगा।

12. यद्यपि, हम तत्परता से यह जोड़ सकते हैं कि यह एक पूर्ण प्रतिपादन नहीं हो सकता है और कुछ कारणजो संहिता की धारा 437 (1) एवं (2) के तहत नियमित जमानत की अस्वीकृति के लिए सुसंगत हों, किसी स्थिति में उक्त धारा की उप-धारा (6) के तहत आवेदन की अस्वीकृति के लिए भी सुसंगत हो सकते हैं। हम इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं कि प्रारंभिक स्तर में नियमित जमानत की अस्वीकृति के लिए सुसंगत कारक उक्त धारा की उप-धारा (6) के तहत आवेदन की अस्वीकृति के लिए बिल्कुल भी सुसंगत नहीं हैं। तथ्य स्थितियाँ संख्या में इतनी बड़ी हैं कि यहां उन कारकों पर विचार करना, गणना करना, चित्रित करना या सम्मिलित करना संभव नहीं हो सकता है जो सुसंगत होंगे और जो संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के उद्देश्य से सुसंगत नहीं होंगे। परन्तु, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए सुसंगत आधार और नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सुसंगत आधार कुछ हद तक भिन्न होंगे।

13. हमारी दृष्टि में, निम्नलिखित कारक प्रासंगिक होंगे :

1. क्या साक्ष्य लेने की निर्धारित पहली तिथि से साठ दिनों के भीतर विचारण समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण के लिए अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
2. क्या अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या अभियोजन पक्ष के प्रकरण में किसी अन्य तरीके से पूर्वाग्रह पैदा करने की कोई संभावना है?
3. क्या जमानत मिलने पर अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना है?
4. क्या अभियुक्त उक्त अवधि के दौरान अभिरक्षा में नहीं था?

यदि उपरोक्त संदर्भित तथ्य स्थितियों या इसी तरह की तथ्य स्थितियों में से किसी एक का उत्तर सकारात्मक है, तो यह संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) के पहले भाग के तहत अभियुक्त को प्राप्त होने वाले अधिकार पर एक बंधन के रूप में कार्य करेगा।

14. उसे अधिकार केवल तभी प्राप्त होता है जब वह उक्त अवधि के दौरान अभिरक्षा में होता है जैसा कि विधायिका द्वारा संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) में प्रयुक्त भाषा से देखा जा सकता है।

15. साक्ष्य की मात्रा, गवाहों की संख्या, न्यायालय पर काम का बोझ, अभियोजक की उपलब्धता, अभियुक्त के साथ विचारण किए जाने वाले अभियुक्तों की संख्या और विचारण के लिए उनकी उपलब्धता आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए उस समय की तुलना में जब तक विचारण चलने की संभावना है, जिस अपराध के लिए अभियुक्त का विचारण किया जा रहा है, उसके लिए निर्धारित दण्ड को विचार में रखना भी सुसंगत होगा।

16. अंतः जहाँ तक प्रश्न सं. 3 और 4 का संबंध है, इस न्यायालय का मत है कि अभियुक्त द्वारा जमानत मांगने के लिए कारक, मापदण्ड, परिस्थितियाँ और आधार और दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा उसकी संतुष्टि के लिए विचार किए जाने वाले आधार बिल्कुल समान नहीं होंगे, परन्तु वे वास्तव में सुसंगत हो सकते हैं और दोनों स्थितियों में परस्परव्यापी हो सकते हैं। इस न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत कारक केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

17. इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि धारा 437 (6) के तहत आवेदनों के प्रति उदार दृष्टिकोण अननाया जाना चाहिए और यह संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में विवेकाधिकार का एक ठोस और विवेकपूर्ण अभ्यास होगा, विशेष रूप से वहाँ जहाँ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है; जहाँ प्रकरण दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करता है जो पहले से ही एकत्र किया जा चुका है; जहाँ विलंब करने में अभियुक्त की कोई गलती नहीं है; जहाँ अभियुक्त द्वारा फरार होने की कोई संभावना नहीं है; जहाँ निकटभविष्य में विचारण के समापन की बहुत कम गुंजाइश है; जहाँ वह अवधि जिसके लिए अभियुक्त जेल में रहा है, उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड की तुलना में पर्याप्त है जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा हो। जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सामान्य मानदण्ड संहिता की धारा 437 (6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय भी सुसंगत होंगे, परन्तु उस कठोरता के साथ नहीं जो वे नियमित जमानत के लिए आवेदन के समय हो सकते थे।

18. दूसरे शब्दों में कहें तो, जहाँ अभियोजन के प्रति पूर्वाग्रह या विचारण में विलंब हेतु अभियुक्त के उत्तरदायी होने की संभावना दर्शाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध जाने वाले सकारात्मक कारकों का अभाव हो वहाँ धारा 437(6) के तहत आवेदन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उदारता से निपटा जाना चाहिए जैसा कि भारत के संविधान के तहत परिकल्पित है और विधायिका द्वारा संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) को सम्मिलित कर जिसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

19. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा (2012) 53 (3) जी. एल. आर. 2685 में प्रतिवेदित **नेहुल प्रकाशभाई शाह बनाम गुजरात राज्य** के प्रकरण में धारा 437 की उप-धारा (6) को बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। हममें से एक, जे. बी. पारदीवाला, न्यायाधीश उस पीठ का हिस्सा थे जिसने दायिद्विक संदर्भ को निर्णीत किया था। हम सुसंगत टिप्पणी को उद्धरित करते हैं :

“9.4.2 धारा 437 (6) के संदर्भ में हमारी बात को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि उपरोक्त उद्धरण में 'अन्वेषण' शब्द का अर्थ 'विचारण' के रूप में पढ़ा जाए।

10. ऐसी स्थिति में दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के न्यायालय का प्रयास यह होना चाहिए कि एक ओर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी अभियुक्त के त्वरित विचारण के अधिकार और दूसरी ओर अभियोजन पक्ष और समाज के हित पर संतुलन बनाया जाए।

11. संहिता की धारा 437 (6) के उपबंधों के सावधानीपूर्वकी वाचन से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबंधित दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) पर यह देखने का कर्तव्य सौंपा गया है कि किसी अभियुक्त का विचारण साक्ष्य लेने की पहली तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर समाप्त हो जाए। दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) यह देखने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए बाध्य है कि संहिता की धारा 437(6) में निहित उपबंधों का सही और सच्चे अर्थ में पालन किया जाए। उस सीमा तक, यह प्रतीत होता है कि किसी अभियुक्त के पक्ष में यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संबंधित न्यायालय को बताए कि उसकी ओर से बिना किसी गलती के साक्ष्य लेने के लिए निर्धारित पहली तिथि से साठ दिनों के भीतर विचारण समाप्त नहीं हुआ है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, उस स्तर पर, दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के पास उन कारणों के लिए जमानत से इनकार करने का कुछ विवेक निहित हो सकता है जिन्हें दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) अभिलिखित करना के लिए उचित समझे। इस तरह के कारण नियमित नहीं हो सकते। इस तरह के कारणों को संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) के पहले भाग में अभियुक्त को प्राप्त होने वाले उस अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रभावी प्रतीत होता है।

11.1 संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) में दिखाई देने वाले शब्द 'कोई भी प्रकरण' उस प्रावधान को उन सभी प्रकरणों पर लागू करने के विधायी इरादे की ओर इशारा करते हैं जो दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा परीक्षण योग्य और गैर-जमानती हैं। विधायिका ने संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) को लागू करने के लिए कोई अन्य विभेद नहीं किया है। इसकी तुलना में, संहिता की धारा

167(2)(क)(i) एवं (ii) में निहित उपबंधों में निर्धारित समय के भीतर आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में जमानत प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान का उद्देश्य अन्वेषण का शीघ्र समापन है। यह एक अभियुक्त की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है जहां अन्वेषण अभिकरण एक निर्धारित समय के भीतर अन्वेषण पूर्ण करने और आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है। चूंकि अभियुक्त को अपराध के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, इसलिए विधायिका ने उसे जमानत का अधिकार देकर उसके हितों की रक्षा करना उचित समझा है, चाहे अपराध की प्रकृति कुछ भी हो, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। उस अधिकार को पूर्ण और अटल अभिनिर्धारित किया गया है। संहिता की धारा 437(6) के तहत आवेदन से निपटने के दौरान उसमें निहित मापदंडों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे दोनों अलग-अलग क्षेत्रों पर काम करते हैं। यहां तक कि दोनों उपबंधों में प्रयुक्त भाषा भी अलग-अलग है। जबकि, यह न्यायिक अधिकारी को धारा 437(6) के तहत जमानत से इनकार करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है, यह संहिता की धारा 167(2) के तहत इस तरह के विवेकाधिकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

12. जहाँ तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न का संबंध है, हम कहते हैं कि समान संख्या वाली एक समन्वित पीठ के निर्णय का किसी अन्य समन्वित पीठ पर बाध्यकारी प्रभाव होगा क्योंकि यह विषय-वस्तु के संदर्भ में विधि के वचन के बजाय विधि का एक सिद्धांत निर्धारित करता है।

13. जहाँ तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित अभियुक्त के मौलिक अधिकार का संबंध है, जहाँ तक यह त्वरित विचारण से संबंधित है, उसे संहिता की धारा 437 (6) के तहत उपार्जित अभियुक्त के अधिकार की तुलना में सेवा में कार्य में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि संहिता की धारा 437(6) के तहत अभियुक्त का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित अधिकार से पूरी तरह भिन्न है। संहिता की धारा 437 (6) में

केवल त्वरित विचारण का अधिकार है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का बहुत व्यापक अर्थ है।

14. पूर्वगामी विश्लेषण हमें निम्नलिखित प्रश्नों को निष्कर्षित करने और उनका उत्तर देने की ओर ले जाती है:

प्रश्न-1 दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के न्यायालय द्वारा विचारणीय गैर-जमानती अपराध में सम्मिलित किसी अभियुक्त को, जिसका विचारण उस प्रकरण में साक्ष्य लेने के लिए निर्धारित पहली तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर समाप्त नहीं हुआ है, और जो उक्त पूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है, दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा होने का पूर्ण या अटल अधिकार नहीं मिलता है। दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के पास इस तरह की अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए अन्यथा निर्देश करने (जमानत से इनकार करने) का विवेकाधिकार है।

प्रश्न-2 संहिता की धारा 437 (6) में निहित उपबंध आज्ञापक नहीं हैं।

प्रश्न-3 दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के पास कारण बताकर जमानत से इनकार करने का विकल्प/विवेकाधिकार है। संहिता की धारा 437(6) के तहत अभियुक्त द्वारा दिए गए ऐसे आवेदन के संबंध में दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा विचार किए जाने वाले मापदण्ड, कारक, परिस्थितियाँ और आधार इस प्रकार हो सकते हैं:

1. क्या साक्ष्य लेने की निर्धारित पहली तिथि से साठ दिनों के भीतर विचारण समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण हेतु अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
2. क्या अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या अभियोजन पक्ष के प्रकरण में किसी अन्य तरीके से पूर्वाग्रह पैदा करने की कोई संभावना है?
3. क्या जमानत मिलने पर अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना है?
4. क्या अभियुक्त उक्त अवधि के दौरान अभिरक्षा में नहीं था?

यदि उपरोक्त तथ्य स्थितियों या इसी तरह की तथ्य स्थितियों में से किसी एक का उत्तर सकारात्मक है, तो वह संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) के पहले भाग के तहत अभियुक्त को प्राप्त होने वाले अधिकार पर एक बंधन के रूप में कार्य करेगा।

उसे अधिकार केवल तभी प्राप्त होता है जब वह उक्त पूरी अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा हो जैसा कि विधायिका द्वारा संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) में प्रयुक्त भाषा से देखा जा सकता है।

साक्ष्य की मात्रा, गवाहों की संख्या, न्यायालय पर काम का बोझ, अभियोजक की उपलब्धता, अभियुक्त के साथ विचारण किए जाने वाले अभियुक्तों की संख्या और विचारण के लिए उनकी उपलब्धता आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए उस समय की तुलना में जब तक विचारण चलने की संभावना है, जिस अपराध के लिए अभियुक्त का विचारण किया जा रहा है, उसके लिए निर्धारित दण्ड को विचार में रखना भी सुसंगत होगा।

इस न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत कारक केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

प्रश्न-4 अभियुक्त द्वारा जमानत मांगने के लिए कारक, मापदण्ड, परिस्थितियाँ और आधार के साथ-साथ विद्वान दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा उसकी संतुष्टि के लिए विचार किए जाने वाले आधार संहिता की धारा 437 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के एक ही या एक जैसे नहीं होंगे, परन्तु तथ्यों के आधार पर सुसंगत और परस्परव्यापी हो सकते हैं और कोई अनम्य सूत्र नहीं हो सकता है। परन्तु, हम यह जोड़ सकते हैं कि धारा 437(6) के तहत आवेदनों की अस्वीकृति के कारण अस्वीकृति के नियमित आधारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होने चाहिए।

प्रश्न-5 संहिता की धारा 167(2)(क)(I) (II) के तहत आवेदन (व्यतिक्रम जमानत) पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत मापदंडों को संहिता की धारा 437

(6) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है।

प्रश्न-6 सिद्धांत रूप में समान संख्या वाली एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया निर्णय किसी अन्य समन्वय पीठ को बाध्य करेगा क्योंकि यह विषय- वस्तु के संदर्भ में विधि के सिद्धांत को निर्धारित करता है न कि विधि के वचन को।

प्रश्न-7 विधायिका ने संहिता की धारा 437(6) को लागू करते समय जमानत का पूर्ण, अटल या निरंकुश अधिकार नहीं दिया है। परन्तु जमानत का अधिकार दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को कारण अभिलिखित कर जमानत देने से इनकार करने के विवेकाधिकार के साथ दिया गया है। अतः त्वरित विचारण के लिए अभियुक्त का अधिकार, यद्यपि, संवैधानिक है और उसका उद्देश्य अभियुक्त की स्वतंत्रता है, उस ऊंचाई पर नहीं रखा गया है कि वह आत्यंतिक हो जाए। यह उचित प्रतिबंधों के साथ दिया गया अधिकार है। यही एकमात्र तरीका है जिससे संहिता की धारा 473 (6) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और उसी के अनुसार उन्हें पढ़ा जाना चाहिए और उसकी व्याख्या करनी होगी।"

20. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम आश्वस्त हैं कि अपीलार्थी कुछ नियम और शर्त, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जा सकते हैं, के अधीन जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

21. यद्यपि, हम स्वयं एक शर्त अधिरोपित करना चाहेंगे।

22. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – यहाँ कथित घोटाले में सम्मिलित कुल राशि लगभग 4 करोड़ रुपये है, परन्तु वह इसमें अपीलार्थी के प्रति लगभग 35 लाख रुपये का दायी है।

23. जमानत के उद्देश्य से और प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी को निर्देश देते हैं कि वह आज से छह माह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय में 35 लाख रुपये की राशि जमा करे।

24. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम उच्च न्यायालयों की निंदा करते रहे हैं जब वे ऐसी शर्तें अधिरोपित करते हैं। परन्तु यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें हम इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शर्त अधिरोपित करने हेतु विवश हैं।

25. हम यह स्पष्ट करते हैं कि 6 माह की अवधि के भीतर, यदि अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है, तो यह जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।

26. उपरोक्त शर्त पर अपील स्वीकार की जाती है।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो तो, निराकृत होता है।

प्रकरण का परिणाम : अपील की अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पण दिव्या पाण्डेय द्वारा तैयार किए गए।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।